सं. 2(42)/97- डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-X/2024

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 14June, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित 5वें सीपीसी वेतनमान पर सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2024 से डीए के भुगतान के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा सं. 2 और अनुबंध-III जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को देय डीए की दरें जो एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित होती हैं को दर्शाया गया था का संदर्भ लेने का निदेश दिया जाता है।

2. इस विभाग के दिनांक 16.11.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, सीपीएसईज़ के उन कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें, जो एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित हैं, जिन्होंने डीपीई के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-डीपीई(डब्ल्यूसी) के अनुसार अपने वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है निम्नानुसार हो सकते हैं: -

क) जिन सीपीएसईज़ ने अपने कर्मचारियों को डीपीई के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित मूल वेतन के साथ 50% डीए के विलय का लाभ नहीं दिया है, उनके मामले में देय डीए को दिनांक 01.01.2024 से **477% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 493%** किया जा सकता है।

ख) जिन सीपीएसईज़ ने अपने कर्मचारियों को डीपीई के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित मूल वेतन के साथ 50% डीए के विलय का लाभ दिया है, उनके मामले में, देय डीए को दिनांक 01.01.2024 से **427% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 443%** किया जा सकता है।

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों की उपेक्षा की जा सकती है।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।

प्रफुल्ल

(डॉ पी के सिन्हा)

उप सचिव

P.T.O

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(डॉ पी के सिन्हा)

उप सचिव

P.T.O